जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 23.10.2024

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980(एनएसए) की धारा 3(2) के अन्तर्गत 06 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में थाना दुधारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को किया गया निरुद्ध

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना दुधारा** पुलिस द्वारा मु0अ0स0 346/2024 धारा 65(2)/351(2)/352 बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त मुहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना पुत्र शाह मुहम्मद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.09.2024 को वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 07.09.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटनास्थल पर थाना दुधारा व अन्य थाने की पुलिस ड्यूटी पर कई दिनों तक तैनात रही। घटनास्थल का उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया था व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया था। इस घटना को लेकर गांव के आस पास के इलाके में लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी थी महिलाएं/लड़कियां अपने घरों से निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही थी, बच्चे स्कूल कॉलेज जाने से डर रहे थे। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर दिनांक 07.09.2024 को उक्त अभियुक्त को जेल भेजा गया था तथा विवेचना के दौरान समुचित साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र प्रेषित किया|

जिलाधिकारी सन्तकबीरनगर ***श्री महेन्द्र सिंह तंवर*** द्वारा थाना दुधारा पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत दिनांक 22.10.2024 को निरोधादेश पारित किया गया है।

अत्यंत कामांध, कामपिपासु तथा दु:साहसिक व दुराचारी प्रवृति के अभियुक्त मुहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना पुत्र शाह मुहम्मद द्वारा किये गये नाबालिग पीडिता के साथ उपरोक्त आपराधिक कृत्य से आस-पास के क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त होने, लोक-व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने, लोक-व्यवस्था का अनुरक्षण कुप्रभावित होने, जिला कारागार संत कबीर नगर में निरुद्ध होने के बावजूद भी न्यायालय से जमानत पर रिहा होने हेतु अनवरत प्रयासरत होने तथा जमानत पर रिहा होने के बाद पुन: ऐसे ही क्रियाकलापों में संलिप्त होने तथा लोक-व्यवस्था कुप्रभावित करने की अधिसंभाव्यता के दृष्टिगत अभियुक्त के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी|

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 02 स्थानों पर लगवाये गये 05 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 23.10.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 02 स्थान पर 05 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 01 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता जितेन्द्र पुत्र बुद्धू निवासी महुआरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय कुमार, हे0का0 दुर्गेश कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3316 द्वारा दो पक्षो के मारपीट/विवाद में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3316 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत खजुरिया से इवेंट सं0 50704 कालर ने मो0न0 7459060050 से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट/विवाद होने के कारण 01 व्यक्ति (1- बब्लू ग्राम कोटिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी लोहरसन भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 आशुतोष विश्वकर्मा, हो0चा0 दुर्गा प्रसाद।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 75 वाहनों से 78,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 75 वाहनों से 78,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।